



सुरक्षा अलर्ट:

खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बढ़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनियों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलियां, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशनों से न्यूनतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

लाइन / उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी भवन / ढांचे / बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम समतलदूरी / हॉरिजेंटल क्लियरेंस जहां लाइन किसी बिल्डिंग / ढांचे / बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्ट तक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 कंवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 कंवी या उसके भाग पर)

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओं और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी सी पत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

बीएसईएस की ओर से जरूरी सलाह!

धोखाधड़ी वाले कॉल्स व मैसेजेस से सावधान रहें, जिनमें संदेहास्पद कॉल्स व मैसेजेस का प्रयोग कर उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करने को कहा जाता है। बीएसईएस उपभोक्ताओं से अनुरोध करती है कि वे अलर्ट रहें और अपने बिजली बिल का भुगतान सिर्फ बोनाफाइड प्लेटफॉर्म जैसे बीएसईएस वॉट्सऐप, बीएसईएस वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ई वॉलेट जैसे प्रामाणिक माध्यमों से ही करें।



बीएसईएस वॉट्सऐप	बस "Hi" लिखें और 8745999808 पर भेज दें
मोबाइल ऐप*	बीवाईपीएल कनेक्ट
वेबसाइट*	www.bsesdelhi.com
ई वॉलेट्स	पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, एमेजॉन पे
क्यूआर कोड	बिल पर प्रिंट
पे नाउ ऑप्शन	बिल पर प्रिंट

* नेट बैंकिंग (आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस), बीबीपीएस, यूपीआई क्यूआर कोड और क्रेडिट/डेबिट कार्ड्स के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।



Switch Off. Give an hour for Earth

23 March 2024, Saturday 8:30 - 9:30pm



फीडबैक

अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110032
सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525, फोन: 11-4124-7111/4124-9273
ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं



टोल फ्री 24x7
19122



एसएमएस
5616108



बिजली चोरी संबंधी
8588892156

बिजली गुल की शिकायत
8745999808



स्ट्रीटलाइट
41999808